अध्याय–3

वन अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

वन विभाग राजस्थान प्रदेश में भारतीय वन अधिनियम 1952 राजस्थान वन अधिनियम 1956 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भू–राजस्व अधिनियम के अधीन प्रावधानों के प्रभावी कियान्वयन के साथ–2 राज्य में वन विभाग कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राजगार उपलब्ध करा रहा है। सभी अधिकारी/कर्मचारीगण ऊपर लिखित अधिनियम में दी गयी शक्तियों के अधीन वन सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा एवं विकास कार्य करवा रहे है, कार्यो के प्रभावी निर्वहन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं जो संलग्न हैः–

क्र. सं	एनेक्स्चर	विवरण
1.	1-Fin	वन अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां
2.	2-Adm	वन अधिकारियों को प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियां
3.	3-WL	वन्यजीव अधिनियम में प्रदत्त शक्तियां
4.	4-FOFF	वन अपराध के संबंध में शक्तियां
5.	5-TMPT	तेन्दू पत्ता से संबंधित शक्तियां
6.	6-TP	वन उपज परिवहन की टीपी संबंधी शक्तियां
7.	7-LRA	भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की शक्तियां
8.	8-Duties	विभिन्न स्तर पर अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन